

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम राजावेडा

सरकार बनाम विष्णु कुमार वर्मा

किस्म मुकदमा प्रान्त 177 RA नं. 19/12 सन्

| | | |
|------------|---------------------------------|---|
| तारीख हुकम | हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये |
|------------|---------------------------------|---|


18/5/18

आज यह पत्रावली राजावेडा लोक अदालत उपखण्डाधिकारी के कार्यालय में भेजा गया है कि जज साहब द्वारा अपनी कोर्ट के कार्यालय नं. 874 स्कूल चौक गौरीगढ़ सिविल स्टेशन मरेना के 160 फुट x 160 फुट स्कूल पर कार्य शुरु कर कार्य शुरु करवाया गया है। जज साहब को ज्ञात है कि जज साहब द्वारा अपनी कोर्ट के कार्यालय नं. 874 स्कूल चौक गौरीगढ़ सिविल स्टेशन मरेना के 160 फुट x 160 फुट स्कूल पर कार्य शुरु कर कार्य शुरु करवाया गया है। जज साहब को ज्ञात है कि जज साहब द्वारा अपनी कोर्ट के कार्यालय नं. 874 स्कूल चौक गौरीगढ़ सिविल स्टेशन मरेना के 160 फुट x 160 फुट स्कूल पर कार्य शुरु कर कार्य शुरु करवाया गया है।

पत्रावली का अवलोकन कि जज साहब को ज्ञात है कि जज साहब द्वारा अपनी कोर्ट के कार्यालय नं. 874 स्कूल चौक गौरीगढ़ सिविल स्टेशन मरेना के 160 फुट x 160 फुट स्कूल पर कार्य शुरु कर कार्य शुरु करवाया गया है। जज साहब को ज्ञात है कि जज साहब द्वारा अपनी कोर्ट के कार्यालय नं. 874 स्कूल चौक गौरीगढ़ सिविल स्टेशन मरेना के 160 फुट x 160 फुट स्कूल पर कार्य शुरु कर कार्य शुरु करवाया गया है।

| | | |
|---------------|---------------------------------|--|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये |
|---------------|---------------------------------|--|

का उत्पन्न धन प्राप्त हुआ है
 डा. अर्चना नं. 177 R/M इस
 आदेश के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है कि
 गैर-साक्षर विवाहिक डा. व. नं. 874 रकम
 01 वीं 01 वीं 1 वीं अंश भरना के 160x
 160 फुट रकम को तीन भाग के अन्तर्
 कार्यालय प्रयोजनार्थ मोबाइल टॉवर हेतु
 विधानु सा. रेपार्टीट कराने के
 अन्तर्गत आदेश की गई है और अंश
 अन्यथा तृतीय भाग राजादेव विधानु सा.
 कार्यवाही के अन्तर्गत (वन्तर्गत) परापूर्व
 फौजल मुआद के बाद तकमील
 काबिल रहने से उक्त सुनाया
 गया


उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)